कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–SHIVIRA-MADYA/SANSTHA/GOPR/MODULE/2022-23-02341 दिनांक– यथा हस्ताक्षर

समस्त संभागीय सयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषयः– वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक की बकाया ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) की पूर्ति एवं समय पर संधारण के संबंध में।

सेवाकालीन मूल्यांकन की दृष्टि से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) प्रत्येक कार्मिक के सेवा अभिलेख का एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अंग है। परन्तु कपितय कार्मिकों द्वारा APAR प्रविष्टियाँ समय पर पूर्ण नहीं की जा रही हैं, जिसकी पूर्ति के लिए समसंख्यक आदेश दिनांक 19.05.2025 को पत्र जारी किया गया था, जिसमें वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक की एपीएआर ऑनलाईन नहीं किये जाने वाले कार्मिकों को दिनांक 10.06.2024 तक पूर्ण करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था एवं मण्डल कार्यालय को एपीएआर ऑनलाईन नहीं करने वाले कार्मिकों की सूची समेकित कर दिनांक 20.06.2025 तक इस कार्यालय प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार एपीएआर ऑनलाईन का कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, जो कि संबधित कार्मिकों एवं कार्यालयों की एपीएआर के कार्य के प्रति शिथिलता को दर्शाता है। यह अत्यंत खेद का विषय है।

भविष्य में आयोज्य डीपीसी एवं एसीपी/एमएसीपी प्रकरणों में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े इसके लिए एपीएआर ऑनलाईन करने से वंचित लोकसेवकों को एक ओर अवसर प्रदान करते हुए **गत 04 वर्षों की एपीएआर ऑनलाईन करने की तिथि में अभिवृद्धि करते हुए 10.06.2025 से 31.07.2025 तथा मंडल कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन नहीं करने वाले कार्मिकों की सकारण समेकित सूची प्रेषित करने की तिथि में अभिवृद्धि करते हुए 20.06.2025 से 11.08.2025 निर्धारित की जाती है।**

उक्त निर्देशों की पालना गंभीरता व प्राथमिकता से करते हुए, इस कार्यालय को 11.08.2025 की अवधि में अनुपालना प्रतिवेदन सहित सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ),समसा

क्रमांक–SHIVIRA-MADYA/SANSTHA/GOPR/MODULE/2022-23-02341 दिनांक– यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1.निजी सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बैठक कार्यवाही विवरण 15.04.2025 की पालना में।
2.संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) गो0प्र0 विभाग, राजस्थान सरकार।
3.निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा।
4.निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5.निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6.संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7.निजी सचिव, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
8.समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में स... ...दक/समीक्षक अधिकारी को उक्त आदेश की पालना की सुनिश्चितता करें।
9.प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.07.01 20:01:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16259109

11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक / माध्यमिक।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
13. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर / सादुल स्पोटर्स स्कूल, बीकानेर।
16. समस्त प्रतिवेदित / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी एवं लोकसेवक शिक्षा विभाग, राजस्थान को पालनार्थ।
17. सहायक निदेशक, मॉनिटरिंग अनुभाग को बैठक कार्यवाही विवरण 15.04.2025 की पालना में।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.07.01 20:01:03 IST
Reason: Approved